जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां

ADR सेंटर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, बारां (राज0)

(Phone-07453-294186 Chairman/Secretary)

कमांक : 1988 दिनांक : 02.04.26

—: विज्ञप्ति :—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर के पत्रांक एफ—16(123)/रालसा/जेएस/LADC/2026/7221-7257 दिनांक 24.03.2026 के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां के अधीनस्थ कार्यालय फुल टाईम लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम, बारां हेतु निम्नानुसार पूर्णतया अस्थायी संविदा पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.17(10)डीओपी/ए—2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्त करने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाते हैः—

क.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मानदेय/पारिश्रमिक
1	ऑफिस असिसटेन्ट	03	14000/—
2	रिसेप्सनिस्ट कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14000/—
3	ऑफिस पिओन	03	11000/—

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 08.04.2026 को कार्यालय समय सायं 5:00 बजे तक जरिये ई—मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कमांक : 1989-2004 दिनांक : 02.04.26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बारां को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत्।
5. श्रीमान् अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति, छबड़ा/छीपाबड़ोद/शाहबाद/मांगरोल/अटरू/अन्ता/किशनगंज।
6. जिला नियोजन अधिकारी, बारां
7. सिस्टम आफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां को जिला न्यायालय, बारां की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय, बारां।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बारां(राज0)

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बारां (राज.)

(राज्य सरकार के सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथिः—
4. पता मय मोबाईल नम्बर :—

5. आयु :— वर्ष माह दिन
6. शेक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :—
7. मूल विभाग का नाम :—

8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :—

9. अनुभव :—

10. सेवानिवृति के समय मूल वेतन
 (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे)
11. मूल पेंशन राशि
 (पी.पी.ओ. की प्रति सलंग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान(सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिये कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अद्योहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों ओर शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्त सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अद्योहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांकः—

स्थानः—

(हस्ताक्षर)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में विन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की अवधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे वैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी ओर कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/गयी है और श्री/श्रीमती के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्वित नहीं है तथा इनकी सेवाऐं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील